भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1040
गुरुवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सीटों के आवंटन के लिए शुल्क

1040. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कुछ एयरलाइन्स टिकटों के खरीद की ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान करने के दौरान सीट के आवंटन/चयन के लिए शुल्क ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुचित व्यापार कार्य-प्रणालियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संदर्भ में एयरलाइन्स के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (घ)**:** नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी "अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा सेवाओं और शुल्क का विभाजन" शीर्षक वाले डीजीसीए के वर्ष 2021 के विमान परिवहन परिपत्र 01 के अनुसार एयरलाइनों द्वारा वरीयता सीटें आवंटित की जाती हैं। सेवाओं और उनके शुल्कों को विभाजित करने से मूल किराया अधिक किफायती हो सकता है और उपभोक्ता को उन सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प मिलता है जिनका वह लाभ लेना चाहते हैं, जिसमें वरीयता सीट की व्यवस्था भी शामिल है। यदि यात्री पसंदीदा सीट नहीं चुनना चाहता है, तो एयरलाइन द्वारा ऑटो असाइन्ड सीट मोड के माध्यम से निःशुल्क सीट प्रदान की जाती है।

******